

प्रेषक,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक (मा० शि०)
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली - 110092

पटना, दिनांक : 27.5.2008

विषय:-पाटलीपुत्र सेन्ट्रल स्कूल, कृष्ण बिहार, बेउर, अनिसाबाद, पटना को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या - 238, दिनांक 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा पाटलीपुत्र सेन्ट्रल स्कूल, कृष्ण बिहार, बेउर, अनिसाबाद, पटना को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है:-

- (1) यह विद्यालय डा० वाई० के० सुदर्शन कृष्ण सिंह एजुकेशन फाउन्डेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया।
- (2) विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम का उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
- (3) विद्यालय के पास निबंधन के माध्यम से 30 वर्षों के लिए भूमि लिया गया है। जो चार खण्डों में है। भूमि 17786 वर्ग फीट है। छाया प्रति संलग्न है।
- (4) विद्यालय के पास कुल 56 कमरे हैं। जिसमें वर्ग संचालन के लिए 31 कमरे तथा अन्य कमरों में अन्यान्य कार्य होता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सलि निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
- (5) विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया है तथा शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में कुल 19 शिक्षक हैं, जिसमें 08 शिक्षक

शिक्षित है। सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता शिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।

6) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

7) विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

8) विद्यालय के द्वारा अपने नाम में सेन्ट्रल शब्द का उपयोग किया गया है कि जिससे भ्रम उत्पन्न होगा कि विद्यालय भारत सरकार के किसी संस्थान के द्वारा संचालित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-3007/2005 अशोक कुमार बनाम भारत सरकार ने न्याय निर्णय का बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा (न्याय निर्णय की प्रति संलग्न)। विद्यालय के सचिव के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का अंडर टेकिंग दिया है (छाया प्रति संलग्न)।

9) विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक- 03.4.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:-

(I) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-रुपया प्रतिवर्ष होंगे।

(II) विद्यालय में नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(III) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगा।

(IV) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

(10) यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, फिर भी सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

(11) साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के

उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

(12) विभागीय पत्रांक - 46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

(13) विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

(14) उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर पाटलीपुत्र सेन्ट्रल स्कूल, कृष्ण बिहार, बेउर, अनिसाबाद, पटना को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से संबंधता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

विश्वासभाजन



(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक (मा०शि०)


27/5